

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2021-22 / 1 2 2 8 4

दिनांक :- .!०.। श्र. श्र

### ई-निविदा सूचना संख्या 11/2021-22/विद्युत

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ईच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने / सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आंमत्रित की जाती है।

कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्तें इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार की ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अविध तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुक्क एवं प्रोसेसिंग शुक्क जमा करवानें के पश्चात् निविदा को ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	घरोहर राशि	प्रोसेसिंग शुल्क	निविदा शुल्क	अवधि
1.	नगर निगम बीकानेर क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर लगी रोड़ लाईट्स व निगम द्वारा संचालित रोड़ लाईट्स के सम्पूर्ण स्विचिंग सिस्टम का संचालन, रख—रखाव तथा स्विच पॉईन्ट पर लगे विद्युत मीटर की मासिक रीडिंग इत्यादि कार्य।	23.91	संलग्न Bid Declaration प्रारूप	500/-	1000/-	12 माह

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक दिनांक व समय

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय

ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय

11 12 2021 को 09:30 बजे से

<u> 22 | 2 202|</u> को 18:00 बजे से

: 23 12 20 % को 15:00 बजे पश्चात्

क्रमांक / विद्युत / 2021–22 / 2285 – 8.9 प्रतिलिप :-

- 1. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
- 2. उपायुक्त, नगर निगम बीकानेर।
- 3. मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
- 4. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
- 5. ओसवाल डाटा प्रोसेसर, बीकानेर को ऑनलाईन वेबसाईट ई-प्रोक्योरमेन्ट एवं एसपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशन हेतु।

आयुक्त । नगर निगम, बीकानेर



नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2021-22 / 12284

दिनांक :- 10 12 21

### ई-निविदा सूचना संख्या 11/2021-22/विद्युत

नगर निगम कार्यालय, बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्य (अनुमानित लागत राशि रूपये 23.91 लाख एवं कार्य अविध 12 माह) हेतु इच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने / सामग्री संभरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती है। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अविध तक ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

1. UBN Code :-

आयुक्त । भूभ नगर निगम, बीकानर

क्रमांक / विद्युत / 2021-22 / । २३८ ५

दिनांक :- 10 18 21

#### प्रतिलिपि :-

- 1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन :-
  - 1. एक मुख्य क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र।
  - एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र। (50 हजार और उससे अधिक प्रतियों के परिचालन वाले) में RTPP नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई—मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

नगर निगम, बीकोनर

### -: ई-टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :-

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सिटिंफिकेट को वेबसाईट <a href=http://eproc.rajasthan.gov.in</a> पर रिजस्टर्ड होना आवश्यक है।
- ► निविदादाता द्वारा निविदा के निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि का ऑनलाईन भुगतान नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर <u>Pay Online Tender</u> ऑप्शन द्वारा <u>Online</u> <u>Tender, RISL, EMD Fee Pay</u> पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- > प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा शुल्क Non Refundable होगा।
- निर्धारित शुल्क एवं धरोहर राशि से कम भुगतान करने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :--

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्घारित शुल्क
10 लाख तक	500 / -
10 लाख से अधिक	1000 / —

- इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सिर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रिजस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सिर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000ं के तहत् प्राप्त करना होगा, जो ई—निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सिर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सिर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सिर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ई—निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है।
- 🕨 टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवानें में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ि किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- > किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/BSR में वर्णित दरें / विवरण मान्य होंगी।
- > RPWA-100 की समस्त शर्ते निविदादाता को मान्य होगी।

आर्युक्स ११/ नगर निगम, बीकामर



नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

### 1. तकनीकी निविदा प्रपत्र :--

निविदा में भाग लेने वाली फर्मों की तकनीकी जाँच निम्न वर्णित बिन्दुओं के आधार पर ही की जावेगी। संवेदक द्वारा तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज पीडीएफ फोरमेट में अपलोड करने होंगे :—

क्रं.सं.	दस्तावेज का विवरण						
	निविदादाता द्वारा निविदा के निर्धारित टेण्डर फीस एवं प्रोसेसिंग फीस का ऑनलाईन भुगतान नगर निगम बीकानेर की						
1.	वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee						
	Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट						
	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।						
	घोषणा-पत्र का प्रारूप Form of Bid-Securing Declaration को निविदा प्रपत्र में संलग्न किया गया है, जिसे नियमानुसार						
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
3.	नगर निगम बीकानेर में ब्लंड रिलेशन नहीं होने बाबत् 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र।						
	किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म के डी-बार/ब्लैकलिस्ट ना होने का 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर						
4.	भागा गन						
5.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि						
٥.	िक्तान्त <del>करो का ६० ८ कराने के बाँच कारिविशा</del> न स्टामा एर शाएश—पत्र प्रश्तत कर ।						
6.	राजस्थान दकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 रजिस्ट्रेशन अथवा इंडियन पटिनरशिप एक्ट 1932 के अर्पनित						
	अथवा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पेत्र का प्रीत।						
7.	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु (EPF) में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।						
8.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI), 1948 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति। पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।						
9.							
10.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।						
विष्ट विराव निरीधक कार्याल्य वरिष्ठ विराव निरीक्षक राजस्थान सरकार के सचना संख्या /क्रमांक संख्या TR-4063							
11.	पर्व कर्णाच्या विषय विदान निरीक्षक विदान निरीक्षणालय के पत्र कमांक व नि नि / लाईसेंस / 2021 / 7454 दिनाक 29.06.2021						
द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गए समस्त श्रेणी के विद्युत ठेकेदारों के लाईसेन्स पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण-पत्र, विद्युत पर्यवेक्षकों (खान) एवं विद्युत वायरमेन परिमेट को भी ऑनलाईन eid.rajasthan.gov.in पर माईग्रेट (डिजीटल) करवाना आवश्यक है। डिजीटल की प्रतिलिपि के अभाव में पुराना मान्य नहीं होगा। अतः सभी निवेदकों को उक्त डिजीटल लाईसेन्स कि प्रतिलिपि निवेदा व www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा निवेदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।							
							·
						12.	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में निर्घारित श्रेणी में निम्नानुसार पंजीयन की सत्यापित प्रति :— 1 F-EWSD-I <sup>st</sup> Any Amount (कोई भी राशि)
							1. E-EWSD-I <sup>st</sup> Any Amount (कोई भी राशि) 2. E-EWSD-II <sup>nd</sup> Up to 25.00 Lacs
	3. E-EWSD-III <sup>rd</sup> Up to 10.00 Lacs						
	4. E-EWSD-IV <sup>th</sup> Up to 05.00 Lacs						
•							

प्रमारी (वि.) नगर निगम, बीकानेर मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर

उपायुक्त नगर निगम, बीकानेर



नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

### 2. वित्तीय निविदा शर्ते :-

निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

सफल निविदादाता जिसका टेण्डर रवीकृत किया जाता है, को कार्यादेश प्राप्त होने के अधिकतम 07 दिवस में नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करवाना आवश्यक होगा एवं इसके साथ ही कार्यादेश तिथि के अधिकतम 10 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करना होगा।

संवेदक को कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् स्विचिंग पोईन्ट्स का पुनः सर्वे करना होगा, जिसकी सूची तैयार कर इस कार्यालय को

दो प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी।

- यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम बीकानेर कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर/प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जावेगा। उपरोक्त धरोहर राशि के निविदा के अंतिम में रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार समस्त असफल निविदाकार को प्रत्यर्पित कर दी जावेगी, जबकि सफल निविदादाता के मामले में इसे प्रतिभूति के एक भाग में मान लिया जावेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि वास्तविक राशि के 2.50 प्रतिशत होगी।
- वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Additional Performance Security) Unbalanced Bid Amount का 50 प्रतिशत अनुबंध सम्पादन से पूर्व निगम कीष में ई-ग्रास, डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवायी जा सकती है।

6. निविदादाता को सभी प्रकार के स्वीचिंग पॉईन्ट जिनमें पुराने टाईमर, फ्यूज, एम.सी.बी. हाईमास्ट टाईमर तथा मुख्य मार्गों की रोड़

लाईट के टाईमर का भी रख-रखाव तथा संचालन करना होगा।

- 7. सभी स्विचिंग प्वाईन्ट को जिस स्थिति में सवेदक को हस्तान्तरित किया जावेगा, अनुबंध समाप्ति के पृश्चात् संवेदक द्वारा उसी स्थिति में निगम को वापिस हस्तान्तरित किया जावेगा। स्विचिंग प्वाईन्ट के रख-रखाव के दौरान यदि किसी भी प्रकार की वायरिंग जल जाती या खराब हो जाती है एवं अन्य लगने वाला सामान जैसे टाइमर घड़ी, एमसीबी, ÎCTP स्विच, कॉन्टेक्टर इत्यादि खराब होने पर सहायक / कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) से अनुमोदन करवाने के पश्चात् उसे निविदादाता द्वारा अपने स्तर पर बदलना / ठीक करना होगा। जिसका भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा, संवेदक को स्वयं वहन करना होगा।
- 8. निविदादाता को निगम अधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही रोड़ लाईट स्विचों का संचालन करना होगा। यदि निविदादाता द्वारा किसी रोड़ लाईट स्विच को रात्रि में चालू नहीं किया गया अथवा किसी स्विच को सुबह बंद नहीं किया गया तो निविदादाता से रू. 250/- प्रतिदिन प्रति स्विच की दर से शास्ति वसूली जाएगी।
- 9. निविदादाता द्वारा दी गई दरें सभी प्रकार के कर सहित मानी जाएंगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर देय नहीं होगा।
- 10. निविदादाता को श्रम कानून की कठोरता से पालना करनी होगी।
- 11. निविदादाता को अपने कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा कराना होगा एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा व सूची निगम कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी अन्यथा बिल पारित नहीं होगा।
- 12. M/S EESL द्वारा लगाई जा रही एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट के प्रोजेक्ट के अन्तर्गत शीघ्र ही लाईटों के स्विचिंग हेतु सी.सी.एम.एस. लगाया जाएगा। उपरोक्त System लगने के कारण संवेदक के द्वारा संधारित व संचालित स्विचिंग प्वाईटोंंकी संख्या में जो कमी आएगी उनका भूगतान उसके बिल में से दिनों की संख्या के हिसाब से कम कर दिया जाएगा।
- 13. निविदादाता को प्रति माह स्विच पॉइंट पर लगे विद्युत मीटर की रीडिंग का आंकलन करना होगा तथा प्रति माह इसकी रिपोर्ट हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में नगर निगम के विद्युत अनुभाग में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी जिसका किसी भी तरह का अतिरिक्त भूगतान संवेदक निगम द्वारा को देय नहीं होगा तथा अनुपालना नहीं होने पर संवेदक द्वारा प्रस्तूत बिल का भूगतान नहीं किया जाएगा।
- 14. उक्त निविदा कार्य के संचालन एवं निरीक्षण हेतु संवेदक को एक सुपरवाईजर नियुक्त करना होगा जो कि नगर निगम बीकानेर के विद्युत अनुभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार अपनी देखरेख में कार्य संपादित करवाना सुनिश्चित करेगा।
- 15. अनुबंध अविध समाप्ति के पश्चात् अगर किन्हीं कारणवश समय पर नया ठेका पुनः नहीं हो पाता है तो निविदादाता को दी गई वर्तमान दर पर कम से कम 06 माह तक कार्य करना होगा। यदि ठेकेदार वर्तमान दर पर कार्य नहीं करता है तो उसकी प्रतिभृति राशि निगम द्वारा जब्त की जा सकती है तथा आगामी निविदाओं में भाग लेने से रोका भी जा सकता है।

प्रमारी विद्युत अनुभाग नगर निगम, बीकानेर

मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर नगर निगम, बीकानेर

- 16. निविदादाता को स्थानीय तीज—त्योहार/आपातकालीन स्थिति/वी.आई.पी. आगमन, दुर्घटना एवं जनहानि आदि मौके पर निगम प्रशासन की ओर से दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा।
- 17. फर्म को किये जाने वाले भुगतान में से राज्य सरकार को देय सभी व्यय (समस्त प्रकार के कर हेतु कटौती) एवं कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- 18. किसी भी प्रकार के विवाद में महापौर/आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा। महापौर/आयुक्त, बीकानेर नगर निगम बिना कारण बताये किसी भी चालू ठेके को 07 दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तीकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जावेगी।
- 19. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्र बीकानेर होगा।
- 20. निविदादाता द्वारा खंय के स्तर पर शर्तों के विरुद्ध कार्य बन्द रखने पर उस दिवस के समय की स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 5000/- रू. प्रति दिवस शास्ति दण्ड के रूप में वसूल की जायेगी।
- 21. भविष्य में आवश्यकतानुसार स्विचिंग पोईन्ट्स की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होने पर उन्हीं के अनुसार भुगतान देय होगा।
- 22. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक का होगा।
- 23. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिमाणों / दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
- 24. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
- 25. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापनन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 26. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें निपयोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त समस्त शर्ते मेरे द्वारा भली-भाँति पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं एवं मुझे सभी शर्ते मान्य

निविदादाता के हस्ताक्षर

है।

प्रभारी विद्युत अनुभाग नगर निगम, बीकानेर

मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर

**अ**अायुक्त नगर निगम, बीकानेर



### राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी--एसपीएफसी / 2017


जयपुर, दिनांक : 23 । 2 2020

### परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त / जीएण्डटी — एसपीएफसी / 2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/— रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।

2. उप सचिव/ मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव |

सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।

4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर / जयपुर ।

7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।

8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर<sup>ी</sup>

9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।

10. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त।

11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।

13. समस्त कोषाधिकारी ।

14. समस्त उपापन संस्थाए।

15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपन्न को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन संचिव

### Form of Bid-Securing Declaration

Date:	
Bid No.	
Alterna	tive No.:
To:	
We, the	undersigned, declare that:
We und	lerstand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.
We acc	ept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid,
	ollowing cases, namely:-
(a) (b)	when we withdraw or modify our bid after opening of bids; when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c)	when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified:
(d)	when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work
(e)	if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.
underta	tion to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process aken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof ired to be forfeited by procuring entity.
We und	derstand this Bid Securing Declaration shall expire if:-
(i) (ii)	we are not the successful Bidder; the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii)	thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) (v)	the cancellation of the procurement process; or the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.
Signed	*
Name	
In the	capacity of:
Duly a	uthorized to sign the bid for and on behalf of:
Dated Corpor	on day of rate Seal
[Note:	In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of an partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Campain

## Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

### Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

### Declaration by the Bidder

In relation to my/or	Bid submitted to for procurement of							
	in response to their Notice Inviting Bids No							
Dated I/we	eby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public							
Procurement Act, 2012	ut:							
1. I/we possess the nec	ary professional, technical, financial and managerial resources and							
competence require	y the Bidding Document issued by the Procuring Entity;							
2. I/we have fulfilled n	our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the							
State Government	ny local authority as specified in the Bidding Document;							
3. I/we are not insolv	I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our							
affairs administere	affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities							
suspended and not	suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;							
4. I/we do not have, a	I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal							
offence related to	our professional conduct or the making of false statements or							
	o my/our qualifications to enter into a procurement contract within							
a period of three ye	a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not							
_	have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;							
5. I/we do not have	onflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding							
Document, which n	rially affects fair competition;							
Date:	Signature of bidder							
Place:	Name :							
	Designation:							
	Address:							

## Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process The designation and address of the First Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

#### (1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

#### (5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

#### (6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### (7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

	Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurem  Act, 2012	ent
	Appeal Noof	
	Before the (First / Second Appellate Authority)	
	1. Particulars of appellant:	
	(i) Name of the appellant:	
	(ii) Official address, if any:	
	(iii) Residential address:	
	2. Name and address of the respondent(s):	
	(ii)	
	(iii)	
•	3. Number and date of the order appealed against	
	and name and designation of the officer / authority	
	who passed the order (enclose copy), or a	
	statement of a decision, action or omission of	
	the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:	
4	If the Appellant proposes to be represented	
٠,	by a representative, the name and postal address	
	of the representative:	
5	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:	
6.	Grounds of appe	
	(Supported by	an
	affidavit)	
	7. Pray	er:
	***************************************	
		• • •
	Place	
	Date	
	Appellant's Signature	

#### Annexure D: Additional Conditions of Contract

#### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

### 3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / व	रुरते है	कि मैनें / हमने	
	निविदा	दी है।	

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम पूर्ण पता

टेलीफोन नंo (निवास) (कार्यालय)

# BIKANER MUNICIPAL CORPORATION, BIKANER

Name of work: - नगर निगम बीकानेर क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर लगी रोड़ लाईट्स व निगम द्वारा संचालित रोड़ लाईट्स के सम्पूर्ण स्विचिंग सिस्टम का संचालन, रख–रखाव तथा स्विच पॉईन्ट पर लगे विद्युत मीटर की मासिक रीडिंग इत्यादि कार्य।

		"H" Schedule		E-N	IT No.11/202	21-22/0
Sr. No.	1	PARTICULARS	QTY	Unit	Rate	Amoun
1	of ex	lly operation (ON-OFF) & maintenance of switching point including daily ntaining of log sheet, monthly energy meter reading of switching point xisting system of street lights (Ward No. 1 to 80, Main Roads and parks) time to time intimate to site incharge/engineer incharge and if any type and from JdVVNL immediately inform related office.	797	Nos.	Each per month	(in RS.
-		NOTE:				
	Α	ON-OFF must be done timely sunrise/sunset. If any special case as per direction by engineer in charge.				
	β.	Monthly energy meter reading report (soft copy and hard copy) of switching point must be submitted in provided performa by electrical department of Nagar Nigam Bikaner otherwise bill should not be paid to contractor.				
	C.	Authorized working supervisor and staff must be connectivity with zonal staff/JEN/AEN/XEN/Commissioner and available in precribed working time.				
	D.	Before starting work to inform to related JDVVNL sub station and take needful safety direction and equipement & tools.				
	E	Contractor must be deploy required and sufficient number of staff and all deployed staff required qualification, skilled & insured with similar work experienced holder.				
	F	Contractor must maintain logsheet ON-OFF and put up timly through authorized person on daily basis to Light Inspector.				
		Contractor must be liable to do the work with required safety precaution with tools and liable for any type of mishappening. there is no claim for the same to BMC				
	Н	If contractor failure to do the work timely then BMC can be panelized to contractor as per term & conditions.				
		TOTAL				
	4	GRAND TOTAL (For 12 Months)				

Junior Engineer (E.) Bikaner Nagar Nigam Assistant/Executive Engineer (E.) Bikaner Nagar Nigam

//we agree to do the work as per specification and BMC terms & conditions.

1. "H" Schedue @ Rs.

Each per month

Signature of contractor with seal